सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

वर्ष 43 अंक – 4 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 15 – 22 जनवरी 2018 मूल्य पांच रूपए

सत्ता परिवर्तन का परिचय है यह प्रशासनिक फेरबदल या कुछ और–उठने लगा है सवाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार को अभी सत्ता संभाले एक माह का समय भी नही हुआ है लेकिन इस दौरान जितने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल को अजांम दे दिया गया है। उसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक चर्चा होनी शुरू हो गयी है कि इतना बड़ा फेरबदल केवल सत्ता परिवर्तन का परिचय देना मात्र है या इसके पीछे कुछ और है क्योंकि सत्ता परिवर्तन का अहसास तो उसी से हो गया था जब जनता के भाजपा के उन बड़ो को भी हरा दिया जो अगर जीत गये होते तो शायद आज मन्त्री होते। इस फेरबदल को लेकर इसलिये सवाल उठने लगे हैं कि प्रदेश में 2017 में जारी हुई सिविल लिस्ट के मुताबिक कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या आई ए एस 110 और एचएएस 210 इतने हैं। इनमें से केन्द्र की प्रतिनियुक्ति पर 32 है। प्रदेश में सरकारी विभागों की संख्या 53 है और विभिन्न निगमों /बार्डो/बैंको की संख्या 31 है। इनसे हटकर सचिवालय में बैठे अधिकारी आते हैं। अबतक हुए प्रशासनिक फेरबदल के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाये तो शायद इस फेरबदल से हर विभाग प्रभावित हुआ है।

सरकार में वित्त और गृह विभागों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है परन्तु इन विभागों के शीर्ष में सचिव स्तर पर कोई परिवर्तन नही हुआ है। गृह सचिव बदले गये थे लेकिन दो दिन बाद ही यह जिम्मेदारी पुराने ही अधिकारी के पास वापिस दे दी गयी। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मन्त्री परिषद् का गठन हुआ और उसके बाद सरकार ने कामकाज़ संभाला है। इन दिनों प्रदेश के करीब आधे हिस्से में शैक्षणिक सत्र समाप्त हो चुका है लेकिन शेष आधे में मार्च – अप्रैल में समाप्त होगा। शैक्षणिक सत्र के अन्तिम दिनों में बच्चों के स्कूल नही बदले जाते हैं और इस फेरबदल से निश्चित तौर पर यह परिवार प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मार्च में बजट सत्र होगा और यह बजट इस सरकार का पहला बजट होगा। इस बजट से ही सरकार के अगले पूरे कार्यकाल के इंगित मिल जायेंगे। इस नाते इस बजट सत्र की अहमियत थोड़ी अलग हो जाती है। इस समय पूरा प्रशासनिक तन्त्र एक छोटे बाबू से लेकर विभागाध्यक्ष और सचिव स्तर तक यह बजट तैयारे करने में अपनी – अपनी भूमिका निभाता है। इसी भूमिका के कारण सरकार को 15वें वित्तायोग के सचिव के रूप में अभय पंत को पुर्ननियुक्ति देनी पड़ी है। हालाकि केन्द्र ने 15वें वित्तायोग का गठन ही नवम्बर माह के अन्तिम पखवाड़े में किया है और अभी प्रदेश में तो इसकी रूपरेखा आगे तय होनी है लेकिन इस वित्तायोग की अहमियत को देखते हुए ही पंत के अनुभव के कारण उन्हें यह पुर्ननियुक्ति देनी है। ठीक इसी तर्ज पर बजट तैयारी के अन्तिम चरण में प्रशासनिक फेरबदल से सामान्यत: गुरेज किया जाता है।

फिर अभी सरकार ने सारे अधिकारियों से अपने – अपने विभागों की सौ दिन की कार्य योजना पूछी है। जब प्रशासनिक फेरबदल से विभाग प्रभावित हुए हैं तो ऐसे में यह अधिकारी जो योजना देंगे वह कितनी व्यवहारिक हो पायेगी। अभी सरकार ने 500 करोड़ का ऋण लिया है और कहा यह गया है कि ऋण विकास कार्यो के लिये लिया गया है। इसकी वास्तविकता क्या है यह तो वित्त विभाग ही जानता है कि यह ऋण वेतन भुगतान में प्रयोग किया जायेगा या विकास में। यदि यह विकास में ही इस्तेमाल होना है तो इसका अर्थ है कि विभागों के पास इस समय विकास कार्यो के लिये पर्याप्त वित्तिय साधन नही है। ऐसे में जब वित्तिय साधनों की सुनिश्चितता ही नही है तो फिर कोई भी विभागाध्यक्ष या सचिव सौ दिन की भी ठोस योजना किस आधार पर दे पायेगा। सरकार ने जो कर्ज के आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं वह जानकारों के मुताबिक सही नही है क्योंकि यदि इस चालू वर्ष में लिये गये कर्ज के आंकड़े भी इसमें जोड़े जायें तो निश्चित रूप से यह कर्जभार 50 हज़ार करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा। क्योंकि हर चुनावी वर्ष में सामान्य से तीन गुणा ज्यादा तक की बढौत्तरी रहती है। यह बजट दस्तावेजों से प्रमाणित हो जाता है। लेकिन क्या प्रदेश की जनता इस वित्तिय स्थिति से परिचित हैं? किसी ने भी जनता को विश्वास में लेने का प्रयास नही किया है। आज संयोगवश प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमन्त्री मिला है जिसकी अपनी स्लेट तो साफ है। ऐसा ही व्यक्ति जनता को विश्वास में लेने का साहस कर सकता था जो शायद नही हो पाया है क्योंकि एक श्वेत पत्र के रूप में वित्तिय परिस्थिति का जनता के सामने आना इसके प्रबन्धकों के लिये शायद ज्यादा सुखद नही रेहगा। अभी तो यह सामने आना शेष है कि मण्डी की एक जनसभा में जब प्रधानमन्त्री मोदी ने प्रदेश सरकार से केन्द्र द्वारा दिये गये 70 हज़ार करोड़ का हिसाब मांगा था तो यह पैसा यदि प्रदेश को मिला है तो फिर खर्च कहां हुआ यह जानने का हक प्रदेश की जनता को है। लेकिन शायद इसी सबसे बचने के लिये सरकार को स्थानान्तरण आदि के चक्रव्यूह में उलझा दिया गया है। ऊपर से कुछ ऐसे फैसलें भी करवा दिये गये हैं जिनसे अभी बचा जाना चाहिये था। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो पद सृजित करके एक को तुरन्त प्रभाव से भरना शायद आश्वयक नही था। क्योंकि सरकार ने यह नही बताया है कि लोक सेवा आयोग को ऐसी कौन सी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है जिसके लिये यह पद सृजित करने आवश्यक हो गये थे। ऐसे और भी कई मुद्दे है जो आगे इसी तरह सामने आयेंगे।

नौ वर्षों में 35,000 करोड़ डकार चुके उद्योगों के लिये फिर मांगी गयी राहतें

शिमला/शैल। कैग रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के उद्योगों को 2009 से 2014 के बीच 85000 करोड़ की विभिन्न करों में राहत मिल चुकी है लेकिन इस राहत के बावजूद यह उद्योग प्रदेश के युवाओं को वाच्छित रोज़गार नही दे पाये हैं। 35000 करोड़ का यह आंकड़ा सरकारी फाईलों में दर्ज रिटर्नज़ पर आधारित है। यह दावा है केन्द्र के वित्त विभाग का जिसे प्रदेश की अफसरशाही मानने को तैयार नही हैं लेकिन कैग में दर्ज इस रिपोर्ट को प्रदेश के यह बड़े बाबू खारिज भी नही कर पाये हैं। 2017 में उद्योग विभाग ने प्रदेश में पंजीकृत छोटे बड़े उद्योगों, उनमें हुए निवेश और इनमे मिले रोज़गार के आंकड़े जारी किये थे। इन आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश में 40,000 उद्योग ईकाईयां पंजीकृत हैं जिनमें उद्योगपतियों का 17000 करोड़ का निवेश है तथा इन उद्योगों में 2,58,000 कर्मचारी कार्यरत है। इन आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि 52,000 करोड़ के निवेश से करीब तीन लाख लोगों को रोज़गार हासिल हुआ है। क्योंकि 40,000 उद्योपति और 2,58,000 कर्मचारी मिला कर तीन लाख का आंकड़ा बनता है। 35000 करोड़ की राहत तो 2009

से 2014 के बीच मिली है जबकि उद्योगों की ओर से 1977 से ही जब शान्ता कुमार के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तभी से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसी दौरान परवाणु, मैहतपुर–पांवटा साहिब और डमटाल के ओद्यौगिक परिसरों की स्थापना हुई थी।

1977 से ही उद्योगों को राहतें प्रदान की जाती रही है और यदि तब से लेकर अब तक मिल चुकी राहतों के सारे आंकड़ो को इकट्ठा करके देखा जाये तो यह रकम एक लाख करोड़ से अधिक की हो जाती है। उद्योगों को सुविधायें देने के लिये ही वित्त निगम की स्थापना की गयी थी। प्रदेश का खादी बोर्ड भी उद्योगों की ही सेवा कर रहा था। इन संस्थानों के माध्यम से उद्योगों को ऋण सुविधा दी जाती रही है लेकिन आज यह दोनों संस्थान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके प्रदेश मुख्यालय के बाहर के कई कार्यालय बन्द हो चुके हैं क्योंकि इनका दिया हुआ बहुत सारा कर्ज डूब चुका है। इस परिदृश्य में आज यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या हमारी उद्योगनीति सही दिषा में रही या नहीं। आज उसका नये सिरे से आंकलन करने की आवश्यकता है लेकिन क्या प्रदेश की अफसरशाही यह आंकलन होने देना चाहेगी? क्योंकि वित्त निगम का तो पूरा प्रबन्धन अफसरशाही के ही पास रहा है। प्रदेश का मुख्य सचिव ही वित्त निगम का अध्यक्ष होता है और सचिव वित्त इसके निदेशकों में शामिल रहता है। इसी अफसरशाही के प्रबन्धन में चलता आ रहा वित्त निगम पूरी तरह फेल हो चुका है।

प्रदेश के उद्योगों और उद्योग नीति का निष्पक्ष और व्यवहारिक आंकलन राजनीतिक नेतृत्व को करना है लेकिन अभी दिल्ली में राज्यों के वित्त मन्त्रीयों की केन्द्रिय वित्त मन्त्री के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने उद्योगों के लिये नये सिरे से राहत की मांग की है। उन्होने प्रदेश में लगने वाले उद्योगों के लिये पहले पांच वर्षो में सौ प्रतिशत और अगले पांच वर्षो में 50% करो में राहत प्रदान करने की मांग की है। इसी के साथ सात वर्षो की अवधि के लिये ब्याज में सात प्रतिशत की छूट दिये जाने की भी मांग की है। इसके तहत उद्योगपतियों को लम्बी अवधि के कर्जो और पूंजीगत कर्जो पर सात प्रतिशत ब्याज की राहत मांगी गयी है।

विद्यार्थी सर्मद्ध भारतीय संस्कृति को अपनाये:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लुधियाना में बीसीएम आर्य म डल वरिष्ठ माध यमिक पाठशाला के खेल उपलब्धिा पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हासिल करने के उद्देश्य से आध यात्मिक एवं नैतिक मूल्य आधारित गतिविधियां को शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों तथा अध्यापकों का यह दायित्व बनता है कि वे विद्यार्थियों के भविष्य को संवारे तथा उन्हें युवाओं के

चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को भारत की समृ) सं तिका अनुसरण करने व मानवता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सोच राष्ट्रवादी तथा कल्याण से ओत-प्रोत होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

विद्यालय के प्रध ानाचार्य ड . परमजीत कौर ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा स्कूल की गतिविधियों व वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर संक्षिप्त जानकारी दी।

इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सां तिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। स्कूल प्रबन्धान समिति के उपाधयक्ष श्री एम.आर मैहता ने धान्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल करेंगे शिमला में गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान पर 26 जनवरी, 2018 को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह की अध्यक्षता करेगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में सम्मिलित होंगे। गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल हमीरपुर में, सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर धर्मशाला में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ऊना में, बहुद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा कुल्लू में, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी चम्बा में, कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा केलांग में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार मण्डी में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर नाहन में, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह सोलन में, वन मंत्री गोविन्द ठाकुर बिलासपुर में तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल रिकांगपिओ में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज चम्बा में शहरी विकास मंत्री के साथ समारोह में शामिल होंगे।

एसजेवीएनएल ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया एक करोड़ रुपये का चेक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबन्धन निदेशक नन्द लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक

करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने एसजेवीएनएल का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार निगम के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभारी है। उन्हांने कहा कि यह राशि गरीब व जरूरतमंद लोगों के चिकित्सा व्यय में सहयोग करने के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि लोगों, बोर्डो व निगमों को स्वैच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए योगदान करने को आगे आना चाहिए।

नन्दलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि समझौता ज्ञापन के 8700 मिलीयन यूनिट की ऊर्जा उत्पादित करने के लक्ष्य के जवाब में निगम ने 2016-17 वित्तीय वर्ष में 9045 मिलीयन यूनिट की ऊर्जा उत्पादित की है। निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 8660 मिलीयन यूनिट की ऊर्जा का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि निगम की वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, जिसमे वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गतिविधियों से 2468.66 करोड़ रुपये का राजस्व तथा कर चुकाने के उपरान्त कुल 1544.14 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। उत्तम वित्तीय प्रदर्शन करते हुए निगम ने राज्य सरकार, जो कि निगम के 25.51 प्रतिशत की शेयरधारक है को वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 290.13 करोड़ रुपये का लाभांश प्रदान किया।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनिषा नन्दा, प्रधान सचिव (ऊर्जा) आर.डी धीमान, निगम के वित्तीय निदेशक एस.एस बिन्द्रा तथा विद्युत निदेशक आर.के. बन्सल भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"SHORT NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders on PWD form- 6 & 8 are hereby invited by the Executive Engineer, Dalhousie Division, HP: PWD, Dalhousie for the following work from valid registered contractors of appropriate class enlisted with HP: PWD, so as to reach in his office on or before **26.02.2018 up to 10.30 AM** and will be opened at **11.00 AM** on the same day in the presence of intending contractors or their representatives who may like to present. The application for issue of tender form will be received on **24.02.2018 up to 12.00 Noon** in his office against cash payment. (Non refundable).

The earnest money in the shape of N.S.C/ Time deposit account, Post Office account /FDR in any of the post office/bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, HP:PWD, Division Dalhousie must be accompany with the tender. Conditional tender and tender received without earnest money summarily be rejected. The XEN reserve the right to reject the tender without assigning any reason. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.** If holidays declare suddenly by the Govt. on the above date, the tender shall be received and open on the next working day. The intending contractor/firm will have to produce all documents at the time of making application such as income tax clearance/ sale tax clearance/Labour registration and copy of enlistment. Special care should be given to write the rate both in figures and in words failing which their tender are likely to be rejected.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Class	Time for comp.
	C/O Link road to Village Padrotu Km. 0/0 to 2/200 (SH:- Formation Cutting at RD. 1/600 to 2/200).	6,41,653/-	12,840/-	350/-	Class "D" & "C" only	01 Month

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The earnest money should be deposited first for individual work and then tender documents will be issued.
2. The undersigned reserve the right to reject/cancel any tender without assigning any reason at any stage.
3. Telegraphically / Fax tender are not acceptable.
4. The tender form will not be issued to those Contactors who have not more than two works at the time of issue of tender forms. In this regard, contractor has to submit an affidavit that he is not having more than two work.
5. The tender form will be issued to those Contactors who have GST No.

Adv. No.-3621/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

विभागों को सूखे जैसी स्थिति के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश:ओंकार शर्मा

शिमला/शैल। प्रधान सचिव राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन ओंकार शर्मा ने इस वर्ष के दौरान सूखे जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वीडियो कॉनफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया।

ओंकार शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में वर्षा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है तथा पाया गया कि प्रदेश में वर्षा ऋतु के उपरान्त वर्षा में 49 प्रतिशत की कमी है। मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर प्रदेश में 23 से 24 जनवरी, 2018 के दौरान धीमी से सामान्य वर्षा के होने के आसार पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2017 के दौरान सभी जिलों में पर्याप्त वर्षा होने के कारण रबी फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने सम्बन्धित हितधारकों के सहयोग से जिलों के लिए सूखा आकस्मिक योजना तैयार करने व इसका जायजा लेने के निर्देश दिए।

प्रधान सचिव ने कहा कि पेयजल क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने सभी क्षेत्र पदाधिकारियों को सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास प्रदेश में 45 पेयजल आपूर्ति परीक्षण प्रयोगशालाएं है, जहां नियमित परीक्षण किए जाते हैं। विभाग ने प्रदेश के सभी जलभण्डार टैंकों की सफाई का कार्य सफलता से पूर्ण कर लिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमण्डल स्तर पर पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। सभी जिलों को पेयजल स्त्रोतों को दूषित होने से बचाने के लिए बचाव उपाय करने तथा पीलिया जैसी जनजनित बीमारियों से बचाव के लिए सुपर क्लोरिनेशन प्रक्रिया आरम्भ करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में पर्याप्त वर्षा होने से नमी के स्तर में कोई कमी नहीं हैं, हालांकि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दो सप्ताह में नमी के स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है।

शर्मा ने कहा कि सभी उपायुक्तों तथा सम्बन्धित विभागों को सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों के पानी के टैंकों तथा पशुओं के चारे के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए है।

विशेष सचिव राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा, निदेशक भारतीय मौसम विभाग मनमोहन सिंह, मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, बागवानी तथा कृषि के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

विकासात्मकगतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन की विधियों पर प्रशिक्षण शिविर

शिमला/शैल। नौणी स्थित डा. वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने हिमालय में होने वाली विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण पर हो रहे प्रभाव के आकलन करने के लिए मानव संसाधन तैयार करने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हिमाचल तथा उत्तराखंड के 28 विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

शिविर के समन्वयक डा. सतीश भारद्वाज ने पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं के पड़ रहे प्रभावों के बारे में बताया तथा इस संदर्भ में आकलन विधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होनें बताया कि सरकार ने इनवायरमेंट इमपैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर 2006 में बनाई थी जिसमें समय समय पर संशोधित किया जा रहा है ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को पर्यावरण हितैषी बनाया जा सके।

इस अवसर पर डा. भारद्वाज ने बताया कि विकासात्मक परियोजनाएं विकास के लिए बेहद जरूरी है और यदि इनका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने न्यूनीकरण की विधियां भी ईजाद की हैं जिसका इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं।

पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों के आकलन के लिए भी प्रशिक्षणार्थीयों को जागरुक किया गया। डा. अजय कुमार सिंह ने परियोजनाओं का मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों को महत्वपूर्ण बताया और इसके अवलोकन व न्यूनीकरण के लिए ज्यादा अधिमान देने पर जोर दिया।

प्रशिक्षण के सह समन्वयक डा. मोहिंदर ब्रहमी, डा. घनश्याम अग्रवाल, डा. राजीव अग्रवाल, डा. तन्वी कपूर, डा. अदित्य राणा, डा. एमएस जांगरा और डा. पीके बवेजा ने भी प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

समापन समारोह में नौणी विवि के वानिकी महाविद्यालय के डीन डा. पवन महाजन ने प्रतिभागियों को पर्यावरण आकलन के आंकड़ों को इकट्ठा करने और इसके व्याख्यान की वैज्ञानिक विधियों के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर उन्होनें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। डा. महाजन ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए ताकि इस विषय पर काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन को तैयार किया जा सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मांग आधारित नर्सरियां तैयार करें विभाग:बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। बागवानी व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नर्सरियों में स्थानीय मांग के अनुरूप पौध तैयार की जानी चाहिए और इसके लिये अधिकारियों को फील्ड में जाकर जलवायु के अनुकूल पौधों की मांग एकत्र कर इन्हें किसानों

को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाना महत्वपूर्ण है ताकि बागवानों में विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान बागीचों तक पहुंचे और इसके लिए वैज्ञानिकों व बागवानी विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाना ही होगा।

बागवानी मंत्री बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बागवानी का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी आकड़ों के जाल में न उलझकर जमीनी स्तर पर उपलब्धियों को दर्शाएं। उन्होंने कहा कि नींबू प्रजाति के लुप्त हो रहे फलों की नर्सरियां विशेष रूप से तैयार कर किसानों को पौधे उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि वितरित किए गए पौधों की जीवन्तता की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधे वितरित करने से पूर्व क्षेत्र विशेष में उनकी अनुकूलता को देखना आवश्यक है और साथ ही किसानों की फीडबैक प्राप्त करे ताकि नर्सरियां तैयार करने में सुविधा हो।

महेन्द्र सिंह ने कहा कि वह प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को हरा-भरा देखना चाहते है और इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों से सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग का इस दिशा में स्पष्ट मिशन होना चाहिए। उन्होंने विभाग को नई सोच के साथ 100 दिनों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर इसे हासिल करने के लिए इस पर कार्य करने को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुष्पोत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार भी जुड़ा है। उन्होंने विभाग को प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में फूलों की खेती व मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्पादन के साथ-साथ इसके विपणन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

हि.प्र. विपणन समिति (एचपीएमसी) के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने जानकारी दी कि एचपीएमसी का इस वित्त वर्ष का कारोबार 64 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि देश में 329 जूस स्टॉल हैं। राज्य में पांच सीए स्टोर, हैं जिनकी क्षमता 3380 मीट्रिक टन है। इसी प्रकार परमाणु, जाबली, मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई में 11750 मीट्रिक टन क्षमता के पांच कोल्ड स्टोर हैं।

उद्यान विभाग के निदेशक डा. एम.एस.राणा ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 568 पंजीकृत नर्सरियां है। विभाग इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न प्रजातियों के लगभग 9 लाख पौधे बागवानों को उपलब्ध करवाएगा, जिसमें से अभी तक 4.51 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 20 लाख पौधे निजी नर्सरियों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बागवानी के अन्तर्गत कुल 1. 776 लाख हैक्टेयर भूमि को लाया गया है और इस वर्ष कुल फलोत्पादन 5.96 मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 18347 बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 5077 मीट्रिक टन मशरूम उत्पादन हुआ है।

बैठक में उद्यान विभाग, एचपीएमसी, डा. वाईएस परमार वाणिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के अधिकारी व वैज्ञानिक उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री का केन्द्र से उदार निधि आबंटन का आग्रह

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केन्द्र सरकार से विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत रूसा, सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उदार निधि आबंटन का आग्रह किया है। वह नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 65वीं बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाबड़ेकर ने की।

भारद्वाज ने केन्द्र से रूसा के अन्तर्गत उन कॉलेजों को धनराशि जारी करने का आग्रह किया जिन्हें बिना बजट प्रावधान के पिछली सरकार ने राज्य में खोला था। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक कठिन एवं दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहां शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है और अन्तिम छोर तक शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से महाविद्यालयों के प्रबन्धन के लिए धनराशि की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी, जिसमें कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप/टैबलेट तथा एक जीबी मासिक इन्टरनेट डाटा प्रदान करना, सरकारी शिक्षण संस्थानों में वाई-फाई की सुविधा, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यन्वयन करना, सभी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण एवं कम्प्युट्रीकरण करना, अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को जूते तथा स्कूल बैग प्रदान करना शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे और राज्य में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

हेपेटाईटिस वायरस से बचाव करे सुनिश्चित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से हेपेटाईटिस-'ए' तथा हेपेटाईटिस 'ई' के मामले हाल ही में सामने आने शुरू हुए है। पहली जनवरी से 16 जनवरी 2018 तक दोनों तरह के कुल 5 मामले सामने आए हैं। यह मामले पिछले कई दिनों से लगातार सूखे की स्थिति बने रहने से, पानी की कमी एवम् दूषित होने से सामने आए हैं।

हेपेटाईटस वायरस मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है, जो आमतौर पर पीलिया के रूप में जाना जाता है। हेपेटाईटस वायरस द्वारा महामारी फैलने की सम्भावना बनी रहती हैं। यह दूषित पानी के पीने तथा दूषित खाना खाने से फैलता है। इसके कारण बुखार, उल्टी, भूख की कमी, थकान और कमजोरी, पेट में दाएं तरफ दर्द, जोड़ों में दर्द तथा हाथों व आखों का रंग पीला पड़ जाता है। इस तरह के पीलिया से जान भी जा सकती है।

उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि पीने के पानी को उबाल कर ही प्रयोग में लायें तथा आस-पास के पानी के स्त्रोतों को साफ रखें। खुले में शौच न करें। खाना खाने से पहले तथा शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह जरूर साफ कर लें।

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि साफ भोजन एवं पीने का पानी उबाल कर ही पीयें ताकि इस रोग से बचा जा सके।

श्रमिक कल्याण पर दिया जाएगा विशेष बल:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए 'कैशलैस' लेन-देन सुनिश्चित करवाने के लिए आधार के माध्यम से वेतन व अन्य भुगतान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के वेतन मामलों में किसी तरह की कोताही न हो। यह बात उद्योग तथा श्रमिक एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने राज्य श्रमिक एवं रोजगार विभाग की बैठक की अध्यक्षता

करते हुए कही।

मंत्री ने कहा कि निजी इकाईयों में पंजीकृत श्रमिकों को उचित वेतन का भुगतान सुनिश्चित बनाने के लिए आधार सूत्रित तंत्र कारगर साबित होगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी श्रमिक कानूनों को सख्ती व प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश औद्योगिक शान्ति के लिए जाना जाता है तथा इस छवि को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। उन्हाने कहा कि भविष्य में स्थापित होने वाली सभी औद्योगिक, पर्यटन तथा जलविद्युत इकाईयों में सृजित होने वाले रोजगार में से कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार हिमालच के युवाओं को प्रदान किया जाएगा।

उन्हांने कहा कि श्रमिक एवं रोजगार, तकनीकी, शिक्षा तथा कौशल विकास निगम जैसे विभागों को वांछित परिणाम हासिल करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन विभागों के मध्य बेहतर ताल-मेल से प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित होंगे।

बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी श्रमिक कार्यालयों को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्यालयों में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं से सम्बन्धित वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार सरकारी रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम सूची से हटा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में बेरोजगार तथा अर्द्ध-बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या व स्थिति स्पष्ट होगी।

श्रमिक एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड सुनिश्चित बनाएं कि अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हों ताकि श्रमिक बोर्ड द्वारा उनके कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि अधिकतर श्रमिक बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं हैं। इसलिए कल्याकारी योजनाओं का बेहतर ढंग से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

बिक्रम सिंह ने कहा कि विभाग में श्रमिकों के कल्याण के लिए सभी कार्यों व क्रियाओं को सरल तथा यथार्थवादी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा बल्कि विभाग की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पड़े सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रमिक एवं रोजगार निशा सिंह ने मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता तथा निष्ठा से कार्य करेगा।

श्रमिक आयुक्त हिमांशु शेखर मिश्रा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ज्योति राणा, प्रबन्धन निदेशक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम राजेश शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

डॉ. रचना गुप्ता ने ली हि.प्र. लोक सेवा आयोग की सदस्य की शपथ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में डॉ. रचना गुप्ता को एक सादे एवं गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मनीषा नंदा, हि.प्र. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डी.वी.एस. राणा, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कश्यप व प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डॉ. डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त

शिमला/शैल। डा. डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त

राज्य सरकार ने डा. डेजी ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पर तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव लागू होगा।

सरकार ने आयोग में गैर-अधिकारिक सदस्यों के तौर पर इन्दू बाला, सुषमा भट्ट तथा मंजरी नेगी को भी तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है।

दूध के लिए हथिनी पालने की जरुरत नहीं होती। अर्थात् आवश्कयता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए .....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक हैं न्यायपालिका पर उठते सवाल

देश की शीर्ष अदालत के शीर्ष जज की कार्यप्रणाली को उसी के साथी चार वरिष्ठ जजों ने लोकतन्त्र के लिये खतरा करार दिया है। इन चार जजों ने बाकायदा एक पत्रकार को संबोधित करते हुए देश की जनता से अपनी पीड़ा को साझा किया है और आह्वान किया है कि वह अब आगे आकर इस शीर्ष संस्थान की रक्षा करे। अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के इन चार वरिष्ठतम जजों को अपनी पीड़ा देश की जनता से बांटने के लिये मीडिया का सहारा लेना पड़ा है तो वास्तव में ही स्थितियां कितनी गंभीर रही होंगी। क्योंकि जो इन चारों जजों ने किया है वह देश की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है वैसे तो न्यायपालिका पर एक लम्बे समय से अंगुलियां उठना शुरू हो गयी है। अभी पिछले ही दिनों जस्टिस सी एस करन्न और अरूणांचल के मुख्यमन्त्री स्व. काली खो पुल्ल के प्रकरण हमारे सामने हैं। न्यायपालिका पर से जब भरोसा उठने की नौबत आ जाती है तब उसके बाद केवल अराजकता का नंगा नाच ही देखने को बचता है। जिसमें किसी के भी जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित नही रह जाती है। केवल ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'' का कर्म शेष रह जाता है।

आज देश की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बनी हुई है उसको सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहा है क्योंकि आज सारे राजनीतिक दलों पर से आम अदामी का भरोसा लगभग उठता जा रहा है। देश की जनता ने 2014 के लोकसभा चनावों में जो भरोसा भाजपा पर दिखाया था उस भरोसे को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ही ब्रेक लग गयी थी। उसके बाद के सारे चुनावों में ईवीएम मशीनों पर सवाल उठते गये हैं और आज इन मशीनों के बदले पुरानी वैलेट पेपर व्यवस्था की मांग एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। कांग्रेस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वह अभी तक उन आरोपों और उन लोगों के साथ से बाहर नही निकल सकी है जिनके कारण यह आरोप लगे थे। आर्थिक धरातल पर मंहगाई और बेरोजगारी का कड़वा सच्च घटने की बजाये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसे छुपाने के लिये हर रोज नये नारों और घोषणाओं का बाज़ार फैलाया जा रहा है। सामाजिक स्तर पर विरोध को कब देशद्रोह करार दे दिया जाये यह डर बराबर बढ़ता जा रहा है। सरकार का हर आर्थिक फैसला मुक्त बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है जो कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश के लिये कभी भी हितकर नही हो सकता है। आम आदमी इन आर्थिक फैसलों को सही अर्थो में कही समझने न लग जाये इसके लिये उसके सामने हिन्दू- मुस्लिम मतभदों के ऐसे पक्ष गढ़े जा रहे हैं जिनसे यह मतभेद कब मनभेद बनकर कोई बड़ा मुद्दा खड़ा कर दे यह डर हर समय बना हुआ है।

इस परिदृश्य में आम आदमी का अन्तिम भरोसा आकर न्यायपालिका पर टिकता है लेकिन जब न्यायपालिका की अपनी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जायेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतन्त्र को इससे बड़ा खतरा नही हो सकता। आज सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जजों न्यायमुर्ति जे. चलमेश्वर, न्यायामूर्ति रंजन गोगाई, न्यायमूर्ति मदन वी लोकर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने जिस साहस का परिचय देकर देश के सामने स्थिति को रखा है उसके लिये उनकी सरहाना की जानी चाहिये और उन्हे समर्थन दिया जाना चाहिये। यह लेख उसी समर्थन का प्रयास है जो लोग इनके साहस को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं उनसे मेरा सीधा सवाल है कि यह लोग अपने लिये कौन सा न्याय मांग रहे है? इनका कौन सा केस कहां सुनवाई के लिये लंबित पड़ा है। इन्होने तो प्रधान न्यायधीश से यही आग्रह किया है कि संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिये जो बैंच गठित हो वह वरिष्ठतम जजों के हो बल्कि संविधान पीठ ऐसे मामलों की सुनवाई करे। अभी जजो के इस विवाद पर अटॉर्नी जनरल ने एक चैनल में देश के सामने यह रखा है कि एक ही तरह के दो मामलों में लंच से पहले एक फैसला आता है तो उसी तरह के दूसरे मामलें में लंच के बाद अलग फैसला आ जाता है। ऐसे फैसलो का उल्लेख जब शीर्ष पर बैठे लोग करेंगे तो फिर आम आदमी ऐसे पर क्या धारणा बनायेगा?

अरूणाचल के स्व. मुख्यमन्त्री कालिखो पुल्ल ने अपने आत्महत्या नोट में यह आरोप लगाया है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई आदित्य मिश्रा ने किसी के माध्यम से उनसे 37 करोड़ की मांग की थी। कालिखो पुल्ल की आत्महत्या के मामले को लेकर उनकी पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में भी दस्तक दी थी। जस्टिस दीपक मिश्रा ने भूमिहीन ब्राह्मण होने के आधार पर उड़ीसा सरकार से दो एकड़ ज़मीन लीज़ पर ली थी। वैसे जस्टिस दीपक मिश्रा पंडित गोदावर मिश्रा के वंशज हैं जो 1937-45 और 1952-56 जुलाई तक उड़ीसा विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इन्ही के चाचा रंगनाथन मिश्रा भी देश के प्रधान न्यायधीश रह चुके है। ऐसी समृद्ध वंश परंपरा से ताल्लुक रखने वाले दीपक मिश्रा को भूमिहीन होने के नाते दो एकड़ ज़मीन सरकार से लीज़ पर लेने की नौबत रही हो यह अपने में एक बड़ी बात है।

आज सर्वोच्च न्यायालय में सहारा- बिरला डायरीज़, मैडिकल काऊसिल रिश्वत मामला और जज बी एच लोया की हत्या के मामले लंबित हैं। इन मामलों की सुनवाई संविधान पीठ से करवाई जाये न कि कनिष्ठ जजों के बैंच से। इसको लेकर प्रधान न्यायधीश और इन चार वरिष्ठतम जजों में मतभेद चल रहा है। देश की जनता की नज़र इन मामलों पर लगी हुई है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

20 लाख टन दालों तक का बफर स्टॉक घरेलू खरीद और आयात के जरिए बनाया गया है, ताकि उनकी कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाजार संबंधी कारगर कदम उठाए जा सकें।

अब तक 17.14 लाख मीट्रिक टन दालें बफर में उपलब्ध हैं। 20.50 लाख टन दालों में से 3.36 लाख मीट्रिक टन (एमटी) का निपटान करने के बाद यह स्थिति है। 20.50 लाख टन दालों में से 3.79 लाख टन का आयात किया गया और 16.71 लाख टन की खरीदारी घरेलू बाजारों में की गई।

घरेलू बाजारों में खरीद की गई 16.71 लाख टन दालों में से 15.52 लाख टन की खरीदारी केएमएस 2016-17 एवं आरएमएस 2017-18 से की गई जिससे लगभग 8,49,128 किसान लाभान्वित हुए।

कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नैफेड, एसएफएसी और एमएमटीसी के जरिए प्याज की खरीदारी के साथ-साथ इसका आयात भी किया गया।

बफर स्टॉक की दालों का उपयोग राज्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि उनकी योजनाओं के जरिए दालों का वितरण हो सके। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनमें पोषण घटक शामिल है। इसी तरह ऐसी अन्य योजनाएं भी हैं जिनके तहत या तो सीधे अथवा निजी एजेंसियों के जरिए आतिथ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बाजार में नीलामी के जरिए भी दालों का निपटान किया जा रहा है।

इन कदमों से अन्य बातों के अलावा यह भी सुनिश्चित हुआ है कि वर्ष 2017 के दौरान दालों के मूल्य उचित स्तर पर ही टिके रहें।

ख) मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को मजबूत करना

राज्य सरकारों को जारी अनुदानों के जरिए राज्य स्तर पर भी मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को मजबूत किया जा रहा है। उपर्युक्त नीतिगत सिफारिश करने के साथ-साथ बाजार संबंधी उचित कदम उठाकर भी कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

कानूनी माप – पद्धति

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और कारोबार में सुगमता के लिए कानूनी माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन किए गए। (1 जनवरी, 2018 से प्रभावी)

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता द्वारा दर्शाई जाने वाली वस्तुओं पर नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं का उल्लेख करना होगा।

नियमों में इस बात का विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही डिब्बाबंद की गई एक ही तरह की वस्तु पर अलग-अलग एमआरपी (दोहरी एमआरपी) का जिक्र नहीं करेगा।

घोषणा करने के लिए अक्षरों और अंकों का आकार बढ़ा दिया गया है, ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पढ़ सकें।

शुद्ध मात्रा जांचने की व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बना दिया गया है।

बार कोड/क्यूआर कोडिंग की अनुमति स्वैच्छिक आधार पर दी गई है।

जीएसटी की दरों में की गई कमी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर, 2017 तक संशोधित एमआरपी को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई।

1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने के कारण ऐसे अनेक मामले सामने आ सकते हैं जिनके तहत पहले से ही डिब्बाबंद की गई किसी वस्तु के खुदरा ब्रिकी मूल्य में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है। इस संदर्भ में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पहले से ही डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माताओं या पैकरों अथवा आयातकों को 1 जुलाई, 2017 से लेकर 30 सितंबर, 2017 तक के तीन महीनों की अवधि दौरान मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य के साथ-साथ संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य का भी उल्लेख करने की अनुमति दे दी थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखा-जोखा रखने के बाद मुहर लगाकर या स्टिकर चिपका कर अथवा ऑनलाइन मुद्रण, इनमें से जो भी स्थिति हो, के जरिए कारगर संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य का उल्लेख करने की अनुमति दी गई।

आवश्यक संशोधन करने के बाद इस्तेमाल न की गई पैकिंग सामग्री/रैपर का उपयोग 30 सितंबर 2017 तक करने की भी अनुमति दी गई।

निर्धारित अवधि को कुछ और आगे बढ़ाने के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मुहर लगाकर या स्टिकर चिपका कर अथवा ऑनलाइन मुद्रण के जरिए संशोधित एमआरपी को प्रदर्शित करने की अवधि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है।

परामर्श जारी किए गए:

कारोबार में आसानी या सुगमता सुनिश्चित करने के लिए यह एडवायजरी समस्त हितधारकों को जारी की गई कि खुली बिक्री वाले सिले-सिलाए परिधान कानूनी माप-पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के दायरे में नहीं आते हैं।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों को यह एडवायजरी जारी की गई है कि समस्त चिकित्सा उपकरणों पर एमआरपी सहित सभी घोषणाएं अवश्य ही सुनिश्चित की जाएं।

उपभोक्ताओं के हित में सभी राज्य सरकारों को यह एडवायजरी भी जारी की गई कि पेट्रोल/डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की सही मात्रा अवश्य ही सुनिश्चित की जाए।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016

एक नए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को 22 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें सरकार के लिए ऐसे अनेक उपयुक्त प्रावधान हैं जिनके जरिए सरकार किसी भी अधिसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की ऐसी किसी भी वस्तु को अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने का निर्देश दे सकती है जिसे वह जनहित अथवा मानव, पौधों अथवा पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए या अनुचित व्यापारिक तौर-तरीकों की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक मानती है। इस अधिनियम में बहुमूल्य धातुओं से बने सामान की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के भी प्रावधान हैं। नए अधिनियम से देश में कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने, 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई गति प्रदान करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 को भी 13 अक्टूबर, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

उपभोक्ता संरक्षण इकाई

अंकटाड के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26-27 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें पूर्वी, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ने भाग लिया था और जिसकी थीम थी 'नए बाजारों में उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण'। लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित तकरीबन 1800 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में इन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया: उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देश और उनका क्रियान्वयन, उपभोक्ता संरक्षण में हितधारकों की भागीदारी, ऑनलाईन उपभोक्ताओं का संरक्षण, वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता समावेश को बढ़ावा देना, उपभोक्ता शिक्षा एवं सशक्तिकरण। सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा ये निष्कर्ष निकाले गए, सभी देशों के साथ-साथ वाणिज्य के सभी क्षेत्रों में और ज्यादा कारगर ढंग से तथा बेहतर तालमेल के जरिए संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों का व्यापक क्रियान्वयन सरकारों तथा हितधारकों की प्राथमिकता होनी चाहिए, ई-कॉमर्स के सतत तथा समावेशी विकास के लिए एक ठोस उपाय के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण डिजिटल संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसके लिए सीमा पार सहयोग एवं प्रवर्तन इत्यादि भी आवश्यक है।

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपायों के जरिए उपभोक्ताओं के हितों का और ज्यादा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 20 दिसंबर, 2017 को संसद में नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 पेश करने को मंजूरी दी है।

मौजूदा अधिनियम को सुदृढ़ करना।

उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित निपटान करना।

उपभोक्ताओं को सशक्त करना।

बाजार में जारी बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए कानून का आधुनिकीकरण करना। पसूका

2017 की समीक्षा–I

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग में 13 साल के बाद सुधार

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग बढ़ाकर बीएए3 से बीएए2 कर दी और भारत सरकार की व्यापक स्थायित्व के लिए प्रतिबद्धता जिससे कम मुद्रास्फीति, घाटे में कमी और सरकार के राजकोषीय मजबूती कार्यक्रम के क्रम में बेहतर बाह्य संतुलन को मान्यता देते हुए 13 साल बाद आउटलुक को पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया।

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़कर 100 हुई - भारत ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2017 में 130 रैंकिंग से 30 पायदान की छलांग लगाई, जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018 में किसी भी देश द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची छलांग थी। इसके साथ ही ईओडीबी की इस साल की रिपोर्ट में भारत दक्षिण एशिया और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा अकेला देश है, जिसने इतना ज्यादा सुधार दर्ज किया।

विकास दर में गिरावट का रुझान पलटा - वित्त वर्ष 2017 - 18 की दूसरी तिमाही के वास्तविक जीडीपी विकास के आंकड़े में खासा सुधार दर्ज किया गया, जो पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत था। दूसरी तिमाही में वास्तविक जीवीए में भी 6.1 फीदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत थी। इस तिमाही के दौरान विकास दर को विनिर्माण में तेज बढ़ोत्तरी से मदद मिली, जो पहली तिमाही की 1.2 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। विद्युत और उपयोगी सेवाओं में 7.6 प्रतिशत, व्यापार, परिवहन एवं संचार में 9.9 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि से भी जीडीपी को गति मिली। समूचे सेवा क्षेत्र ने दूसरी तिमाही के दौरान 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सकल स्थायी पूंजी निर्माण की दर में भी दूसरी तिमाही के दौरान 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली तिमाही में 1.6 प्रतिशत रही थी। वास्तविक निजी खपत में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत के आंकड़े पर स्थिर रही।

काले धन को अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए 8 नवंबर, 2017 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले की सफलताओं को एक साल बाद याद करें तो बड़े नोटों के सर्कुलेशन में 50 प्रतिशत तक की कमी आ गई, वेतन के लिए नकदरहित लेनदेन को सक्षम बनाने के लिए 50 लाख नए बैंक खाते खोले गए, वित्त वर्ष 2015 - 16 से वित्त वर्ष 2016 - 17 के बीच 26.6 प्रतिशत नए करदाता बढ़े, ई - रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 27.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अगस्त, 2016 से अगस्त, 2017 के बीच आईएमपीएस लेनदेनों की संख्या 59 प्रतिशत बढ़ी, 2.24 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी गईं, 29,213 करोड़ रुपये अघोषित आय व देश भर में यूएलबीएस की आमदनी का पता लगा।

केंद्र और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के वितरण जो होना है, या उनके बीच बांटा जा सकता है जैसे मुद्दों पर विचार करने, सिद्धांत जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व में दी जाने वाली अनुदान सहायता के मामले में लागू होने चाहिए और वित्त, घाटे, कर्ज स्तर, नकदी संतुलन की वर्तमान स्थिति और केंद्र व राज्यों के राजकोषीय अनुशासन की दिशा में प्रयासों की समीक्षा, और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय मजबूती का रोडमैप सुझाने, सामान्य व राजकोषीय कर्ज और घाटे को उचित स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय करने जब देश में समानता, क्षमता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ समावेशी विकास गति पकड़ रहा हो, के लिए 15वें वित्त आयोग को 27 नवंबर, 2017 के गठन को अधिसूचित किया गया।

दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत में ऊंची लॉजिस्टिक लागत को ध्यान में रखते हुए एकीकृत लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 नवंबर, 2017 को हुई 14वीं इंस्टीटयूशनल मेकैनिज्म बैठक में लॉजिस्टिक सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ी हुई सीमा के साथ आसान शर्तों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज उपलब्ध कराने, बाह्य व्यवसायिक उधारी के तौर पर ज्यादा धन जुटाने, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से लंबी अवधि का फंड हासिल करने और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड से कर्ज लेने के लिए पात्र बनने में मदद मिलेगी।

एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का परिचालन शुरू हो गया। एनआईआईएफ ने दीर्घकाल के लिए 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ अपना पहला निवेश समझौता किया।

इसके अलावा आर्थिक मामलों के विभाग ने विदेशी निवेशकों को सरकार के निवेश अनुकूल सुधारों के बारे में बताने के लिए सिंगापुर में एक इन्वेस्टर्स राउंडटेबिल का आयोजन किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्य रूप से भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगापुर, अमेरिका और बांग्लादेश का दौरा किया।

भारत ने नई दिल्ली में 9वें यूके - इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक, 2017, नव विकास बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी की। भारत 25 और 26 जून 2018 को मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड अ फ गवर्नर्स की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी भी करेगा।

आर्थिक मामलों के विभाग की अन्य अहम पहलों में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004 - 05 से 2011 - 12 करना, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के विमोचन, मौद्रिक नीति समिति का निर्माण, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को खत्म करने को मंजूरी, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना की गाइडलाईन में संशोधन और गांधीनगर (गुजरात) के गुजरात इंटरनेशन फाइनेंस टेक - सिटी में अप्रैल, 2017 को देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को परिचालन में लाना शामिल है।

राजस्व विभाग

जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर को 30 जून, 2017 की आधी रात से लागू कर दिया गया और यह 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो गया।

जीएसटी का प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, क्रय कर और प्रवेश कर जैसे कई राज्य व केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया गया है।

जीएसटी से ईज़ी ऑफ डूइंग बिजनेस और करों की दरों को व्यवहारिक बनाना सुनिश्चित होने के साथ ही कारोबारी लेनदेनों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आई है।

जीएसटी से एकल बाजार की स्थापना के परिणाम स्वरूप अंतर राज्यीय लेनदेनों में आने वाली बाधाएं खत्म हो गई।

जीएसटी से करदाताओं को इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने और इसे आउटपुट कर के भुगतान में इस्तेमाल की अनुमति मिलती है।

जीएसटी तैयार करना और लागू करना वक्त की जरूरत

जीएसटी लागू करने के क्रम में देशभर में सामान की आवाजाही आसान बनाने के लिए भारत के 22 राज्यों ने अपनी सभी चेक पोस्ट्स 3 जुलाई, 2017 से खत्म कर दी गई हैं।

वस्तु एवं सेवा नेटवर्क ने अधिकतम सरलता और मामूली लागत पर अपने मासिक रिटर्न तैयार करने और फाइलिंग की सुविधा देने के लिए एक सरल एक्सेल आधारित टेम्पलेट जारी किया। जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर टेम्पलेट उपलब्ध है और इसे करदाताओं द्वारा नियमित आधार पर अपने सभी इनवॉयस से संबंधित ब्योरे का मिलान करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑफलाइन टूल 17 जुलाई, 2017 को प्रदर्शित किया गया था।

भारत सरकार ने जीएसटी के प्रभाव की निगरानी के लिए 21 जुलाई, 2017 को कैबिनेट सचिव की अगुआई में एक केंद्रीय निगरानी समिति की स्थापना की थी।

16 नवंबर, 2017 को कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा लाभ और ग्राहक को मिलने वाली वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति घटी जीएसटी दरों पर सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण का गठन करने को मंजूरी दी। बी. एन. शर्मा की अगुआई में प्राधिकरण जीएसटी के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है।

जीएसटी परिषद की बैठकों की मुख्य बातें (अप्रैल - दिसंबर)

जीएसटी परिषद की स्थापना 15 सितंबर, 2016 को की गई थी और उसके निर्माण के बाद से 24 बैठकें हो चुकी हैं।

इस वित्त वर्ष की शुरुआत श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में 18 और 19 मई, 2017 को जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक के साथ हुई। सामान यानी वस्तुओं की दरें तय करने पर चर्चा हुई, और परिषद ने 0, 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी दरों को मंजूरी दी। चुनिंदा वस्तुओं के लिए जीएसटी कम्पन्सेशन सेस की दरों को भी मंजूरी दी गई। व्यापार एवं उद्योग से फीडबैक लेने और जीएसटी के शुभारंभ को आसान बनाने के लिए 18 क्षेत्रीय समूहों का गठन किया गया।

15वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने 14वीं बैठक में दर निर्धारण की प्रक्रिया के बाद बाकी कमोडिटीज पर लगाए जाने वाले कर और सेस की दरों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही जीएसटी नियमों के मसौदे और संबंधित प्रपत्रों में संशोधन को मंजूरी भी एजेंडे में थी।

11 जून, 2017 को हुई 16वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने सेवा कर छूट और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों को मंजूरी दे दी।

8 जून, 2017 को हुई 17वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग को लचीला बनाने और होटल में विश्राम जैसी चुनिंदा सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में कमी करने की घोषणा की।

30 जून, 2017 को हुई 18वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने उर्वरकों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और विशेष ट्रैक्टर पार्ट्स की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दीं।

17 जुलाई, 2017 को हुई 19वीं बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन पर गौर किया गया और सिगरेट पर सेस बढ़ा दिया गया।

5 अगस्त, 2017 को हुई 20वीं बैठक में परिषद ने सिफारिश की कि चुनिंदा मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले सेस की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ संशोधन करने की जरूरत है।

9 सितंबर, 2017 को हुई 21वीं बैठक में परिषद ने रिटर्न फाइलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल बदलाव किया गया और आईटी से संबंधित चुनौतियों की निगरानी के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया।

जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक के क्रम में जीएसटी लागू करने में आईटी से संबंधित चुनौतियों की निगरानी और उनके समाधान के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) की स्थापना की गई। निर्यात से जुड़े मुद्दों पर गौर करने और जीएसटी लागू होने के बाद निर्यात क्षेत्र को सहायता देने के लिए जीएसटी परिषद को उपयुक्त रणनीति सुझाने के लिए राजस्व सचिव के संयोजन में निर्यात पर एक समिति का गठन किया गया।

22वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निर्यातकों को कुछ राहत और प्रोत्साहन देने की घोषणा की।

जीएसटी परिषद ने अपनी 23वीं बैठक में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 178 आइटम्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दीं।

परिषद ने कंपोजिशन योजना में कंपोजिशन के लिए पात्रता बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने और विनिर्माता और कारोबारियों के लिए 1 प्रतिशत एक समान कर की दर जैसे बदलावों का प्रस्ताव रखा। इन बदलावों को सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन के बाद लागू किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने 16 दिसंबर, 2017 को अपनी 24वीं बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला किया कि अंतर - राज्यीय ई - वे बिल 1 फरवरी, 2018 से अनिवार्य हो जाएगा। 16 जनवरी, 2018 से परीक्षण के तौर पर लागू करने के लिए सिस्टम को तैयार कर दिया जाएगा, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर स्वैच्छिक आधार पर इसे 16 जनवरी, 2018 से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अंतर - राज्य स्तर पर ई - वे बिल की समान प्रणाली के साथ ही अंतर - राज्य परिवहन को देश भर में 1 जून, 2018 से लागू कर दिया जाएगा।

क्रमशः

पसूका

मुख्यमंत्री ने 62 नए घोषित राष्ट्र उच्च मार्गों की विस्तृत परियोजना कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

हमीरपुर/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को 31 मार्च, 2018 तक प्रदेश के लिए 62 नए घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए

परामर्श सेवाएं आबंटित करने के लिए निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि इन राष्ट्रीय उच्च मार्गो का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके। वर्तमान में 4400 किलोमीटर कुल लम्बाई की 69 उच्च राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए गए है जिनमें 62 राज्य सरकार के अधीन एक सीमा सड़क संगठन, दो हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अधोसंरचना विकास निगम तथा तीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं अधोसंरचना विकास निगम के अधीन है। एक राष्ट्रीय मार्ग संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य एजेंसी के अधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जमीन स्तर पर कार्य देखना चाहते हैं, ताकि प्रदेश के लोगों की लोक निर्माण विभाग से जो आशाएं हैं उन्हें धरातल पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क परियोजनाओं का विस्तार तथा रख-रखाव को भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को ऐसी पंचायतों जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी है के लिए रोड़ मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए और आगामी योजना में ऐसे गांवों व बस्तियों को जोड़ना होगा जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को वित्त वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाना है इसकी योजना पहले ही तैयार की जानी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य का निगरानी करना अतिआवश्यक है और वे चाहते है कि उनकी इच्छा है कि सम्बन्धित अधिकारी कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदार या अन्य किसी द्वारा कार्य में गुणवत्ता व टाल-मटोल के रवैइये पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि यदि बिना किसी उचित कारणों से कार्य में देरी होती है तो सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने पखवाड़े के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा तीन मुख्य परियोजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में यह भी बताया गया कि नाबार्ड के अंतर्गत 634 करोड़ रुपये की लागत की 170 विस्तृत परियोजना रिर्पोट का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 487.21 करोड़ रुपये की लागत के 26 पुलों तथा 16 सड़क परियोजनाओं और 17 ब्लैक स्पॉट के उन्नयन का मामला केन्द्रीय भूतल एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 384 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिर्पोटों को भी केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

मुख्य सचिव विनित चौधरी ने सड़क निर्माण के कार्य विशेषकर पुलों के कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलों का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ पुलों का निर्माण सालों से लम्बित है जिसकी विभाग द्वारा पुन: समीक्षा की जानी चाहिए कि और कहा कि लोक निर्माण विभाग को अपने कार्यो में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विभाग को सभी कार्यो को पूर्ण करने के समय में कटौती करने की सलाह दी और यह भी कहा कि सभी कार्यों में गुणवत्ता बरकरार रखी जाए जिस पर कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष अप्रैल व मई माह तक जमीनी स्तर पर बदलाव देखना चाहती है।

मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय उच्च मार्गो पर सूचना पट स्थापित करने की भी सलाह दी। उन्होंने इसके लिए शिमला-परमाणु फोर-लेन परियोजना का उदाहरण दिया, जिसमें यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए खेद बारे सूचना पट स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड की दर्ज पर राज्य सड़क परियोजनाओं में भी परियोजनाओं के ठेकेदार का नाम कार्य की लागत व परियोजना का नाम का सूचना पट लगाने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण अनिल खाची ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने प्रत्येक बस्ति को सड़क से जोड़ने के लिए विजन दस्तावेज 2017 तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में तथा निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए नई सड़क नीति आरम्भ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभाग ने अपने लिए गुणवत्ता, सुरक्षा व धनराशि का सदुपयोग का सिद्धांत निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क प्रबन्धन व अनुश्रवण प्रणाली को वैब आधारित सड़क प्रबन्धन प्रणाली से स्तरोन्नयन किया जा रहा है, जिससे सभी सड़कों व पुलों के बारे में विस्तृत सूची ऑनलाईन उपलब्ध होगी। सड़क सर्वेक्षण डाटा संग्रहण, आधुनिक सड़क सर्वेक्षण, डाटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क प्रबन्धन एवं अनुश्रवण प्रणाली में विश्वभर में अनेक मुख्य चुनौतीपूर्ण सड़क परियोजनाओं के सफल निष्पादन में सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर सड़कों व पुलों के बारे में एकत्रित डाटा का मुख्यालय पर नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा उच्च मार्ग विकास मॉडयुल-4 विभिन्न सड़कों व पुलों के वार्षिक रख-रखाव के लिए योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन, चीफ, मुख्य अभियन्ता, व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वन विभाग के कलैण्डर का विमोचन

वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने वन विभाग के कलैण्डर का विमोचन किया

शिमला/शैल। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरूण कपूर, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) डॉ. जी. एस. गोराया, मुख्य अरण्यपाल (ईको पर्यटन) संजय सूद, मुख्य अरण्यपाल प्रशासन अनुनागर, विशेष सचिव वन गोपाल शर्मा तथा वन मण्डलाधिकारी प्रचार अनीश शर्मा भी उपस्थित थे।

उचित मूल्यों के दुकानों में पतंजलि उत्पाद उपलब्ध करवाने की कवायद

शिमला/शैल। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के साथ अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग व निगम द्वारा संचालित उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से बहुप्रचलित पतंजलि उत्पाद उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने पतजलि आयुर्वेद सीमित के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पतंजलि के उत्पादों में प्रदेश के लोगों की विश्वसनीयता और मांग को देखते हुए इन उत्पादों को उपभोक्ताओं को सरकारी डिप्पुओं के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इन उत्पादों में विशेष रूप से खाद्य वस्तुएं, पेय उत्पाद, शर्बत, मसाले, होम-केयर, जूस, करियाने का सामान, तेल, दालें, सिरप इत्यादि उपभोक्ताओं को उनके घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

कपूर ने कहा कि पतंजलि सैंकड़ो उपभोक्ता उत्पाद तैयार कर रही है और प्रयास किए जाएंगे कि दैनिक जीवन में अधिक उपयोग में लाए जाने वाले उत्पादों को उचित मूल्यों की दूकानों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध ढंग से राज्य में कार्यरत सभी उचित मूल्यों की दूकानों में ये उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में खाद्य वस्तुओं विशेषकर दाल, चावल व आटे की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण मण्डियों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत इनकी निविदाएं हर महीने की जाएंगी।

उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि फरवरी माह के अंत तक पतंजलि उत्पादों की उपलब्धता को व्यवहार्य बनाने के लिये सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु अथवा खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।

हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक एस.एस. गुलेरिया ने पतंजलि उत्पादों की खरीद के संबंध में किए जा रहे प्रयासों बारे मंत्री को अवगत करवाया।

बैठक में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी व पतजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण राज्य पर ऋण का भारी बोझ

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह तथा वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस वक्तव्य की जिसमें उन्होंने राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा शासन को जिम्मेदार ठहराया है की कड़ी आलोचना की है।

एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन, असुनियोजित तथा अनावश्यक खर्च के कारण राज्य पर ऋण का भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 46,500 करोड़ रुपये का ऋण है। कांग्रेस नेता अपनी भूल को स्वीकार करने के स्थान पर प्रदेश की खराब वित्तीय हालत के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो कि पूरी तरह अनुचित व असंगत है।

मंत्रियों ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश को दयनीय वित्तीय स्थिति की ओर धकेला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 45 से भी ज्यादा लोगों को विभिन्न बोर्डो तथा निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सभी करीबी लोगों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों से नवाजा जिससे सालाना करोड़ों रुपये के अनावश्यक खर्च का बोझ राज्य कोष पर पड़ा। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम दिनों में बिना किसी वित्तीय प्रावधानों के विभिन्न घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मध्यनजर पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में से केवल कुछ को ही यह भत्ता प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र को अध्यक्ष पद देने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना को प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यन्वित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पांच वर्षो के दौरान पांच लाख युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य के स्थान पर केवल 1. 5 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया।

बिक्रम सिंह तथा गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया तथा ड्रग माफिया सक्रिया थे तथा प्रदेश में अराजकता व कानून अव्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह हत्या तथा गुड़िया कांड जैसी घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार किया तथा 'देव भूमि' को 'अपराध भूमि' में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया है, जो शान्ति व सौहार्द माहोल के लिए जाना जाता है।

मंत्रियों ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 62 राष्ट्रीय उच्च मार्गो की विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने में भी विफल रही। इसी प्रकार, पूर्व कांग्रेस सरकार प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एम्स अस्पताल के लिए भूमि प्रदान करने में भी नाकाम रही।

बिक्रम सिंह ठाकुर तथा गोविन्द सिंह ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार के भ्रामक व झूठे ब्यान देने से गुरेज करने की सलाह देते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने राज्य में भारी समर्थन दे कर भाजपा को सत्ता प्रदान की है तथा निकम्मी व भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को पूरी तरह नकारा है।

मुख्यमंत्री का उद्योगों को पांच वर्ष के लिए कर में 100 प्रतिशत छूट का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उद्योगों में पहले पांच वर्षों के लिए कर में शत-प्रतिशत और अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया। इसके अलावा, पर्वतीय राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सात वर्षों की अवधि के लिए ब्याज में सात प्रतिशत

की छूट प्रदान करने का भी आग्रह किया।

वह नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आपदा प्रबन्धन में सहायता के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर संचालित उड़ानों और हेली-टैक्सी सेवाओं के लिए सब्सिडी/व्यवहार्यता अन्तर निधि की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं और इसके मद्देनजर हवाई यातायात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार को सभी राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डों के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय बजट में घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने पर्वतीय राज्य में हवाई अड्डों के विस्तार व निर्माण के लिए केन्द्र में बजट प्रावधान करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।

ठाकुर ने औद्योगिक विकास के लिए कार्पोरेट टैक्स दर को 20 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यमियों को मार्च, 2017 में समाप्त हुए पूंजी निवेश सब्सिडी के लाभों से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा हालांकि, पर्वतीय राज्यों के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने नई घोषणाओं तक राज्य को केन्द्रीय पूंजीगत निवेश सब्सिडी जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने किराया-भाड़ा सब्सिडी योजना को पुन: आरम्भ करने और 75 प्रतिशत की दर से लगभग पांच करोड़ रुपये की परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए भी आग्रह किया।

उन्होंने केन्द्रीय बजट 2018-19 में घोषित सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने का भी आग्रह किया ताकि हिमाचल के बागवानों के हितों की रक्षा की जा सके।

ठाकुर ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार व सुधार के लिए प्राथमिकता प्रदान करने की भी मांग की। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाईन के निर्माण के अलावा पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल लाईन के विस्तार का भी आग्रह किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने अनावश्यक देरी से बचने के लिए 50 मैगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण राज्य सरकार को करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए एफसीए एक्ट-1980 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों को एक हैक्टेयर से बढ़ाकर पांच हैक्टेयर करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की अधिकांश आबादी को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 से अधिक तथा 250 से कम की आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल 111 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 289 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कुल 338 करोड़ रुपये में से अभी तक केवल 49 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने फिन्ना सिंह और नादौन सिंचाई परियोजनाओं को मंत्रालय की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह किया ताकि इनका निर्माण दिसम्बर, 2019 तक पूरा किया जा सके। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत जनजातीय तथा गैर- जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दरों में असमानता को दूर करने का भी अनुरोध किया।

ठाकुर ने राज्य के लिए वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट में आपदा निवारण निधि घोषित करने का आग्रह किया क्योंकि प्रदेश भूकंपीय क्षेत्र-4 व 5 के अंतर्गत आता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी व मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा भी बैठक में उपस्थित थी।

प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जीएसटी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र से वस्तु एवं सेवा कर नियमों तथा दर संरचना में त्रैमासिक या छ: मास के आधार पर परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवर्तन करने का आग्रह किया है तथा कहा कि यह बदलाव महीने की पहली तारीख को अधिसूचित या लागू होने चाहिए।

यह बात मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने की।

उन्होंने कहा कि हितधारकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर कार्यान्वयन विभागों के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण राजस्व प्राप्तियों व करदाताओं की विवरणियों का विस्तृत विश्लेषण सम्भव नहीं हो पाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगतियों तथा कर चोरी को पकड़ने के लिए प्रणाली के प्रौद्योगिकी समाधानों में उपयुक्त व्यापार ज्ञान उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन प्रारूप (इनफोरसमेंट मॉडयूल) को शीघ्र तैयार किया जाना है। उन्होंने इसके लिए पूर्ण परस्पर सशक्तिकरण से सम्बन्धित शक्तियों को शीघ्र अधिसूचित करने का आग्रह किया।

उन्होंने प्रदेश में जीएसटी को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर कदम उठाने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव आबकारी एवं काराधान जगदीश चन्द्र शर्मा तथा आयुक्त आबकारी एवं काराधान आर. सेलवम भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने दिए जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदमों के निर्देश

शिमला/शैल। सभी सरकारी विभाग जैसे कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों को हैपेटाइटिस-'ए' और हैपेटाइटिस-'ई' जैसी जलजनित बीमारियों के मामलों की रोकथाम के लिए समन्वय से कार्य करना चाहिए। यह बात मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

करते हुए कही।

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सभी पानी के टैंकों तथा भण्डारणों को साफ करने के लिए सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विभागों को मानक ऑपरेशन प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके निजी पानी के टैंकों को साफ करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि निजी पानी के टैंक कुछ समय के बाद दूषित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए बचाव व कारगर उपायों के बारे जनमानस को संवेदनशील बनाना अति महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तथा नगर निगम शिमला के अधिकारी शामिल किए जाने चाहिए, जो कि स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रभावी मीडिया रणनीति तैयार कर इसे कारगरता से कार्यान्वित करेंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल को स्वच्छ रखने के लिए जन आन्दोलन पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामसभाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बैठकों के माध्यम से इस बारे लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने व शिक्षित बनाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के साप्ताहिक 'गिरीराज' की पहुंच के मध्यनजर लोगों को इसके माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पानी के परीक्षण तथा सैम्पल आधुनिक उपकरणों के साथ नियमित रूप से किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला के सभी छ: मल निकासी उपचार सयंत्रों को प्रभावी ढंग से क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम शिमला को मल निकासी तथा पेयजल पाईप-लाईनों में किसी भी तरह के रिसाव को बन्द करने को सुनिश्चित बनाना चाहिए क्योंकि जनजनित बीमारियों का यह एक मुख्य कारण पाया गया है।

चौधरी ने कहा कि क्लोरीन तथा अन्य दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए तथा इस स्टॉक की उपयोग व भण्डारण करने की अवधि को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों को दूषित करने की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यापार प्रतिष्ठानों, होटलों तथा रेस्तरां मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल को दूषित होने से बचाने के लिए प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने सभी उपायुक्तों को उनके सम्बन्धित जिलों में जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों की निगरानी करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य देवेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में 21,000 से भी ज्यादा पानी के टैंको की सफाई की गई है तथा विभाग शीघ्र अतिशीघ्र बर्फ से ढके जनजातीय क्षेत्रों के टैंकों की सफाई भी सुनिश्चित करवाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्त्रोतों में क्लोरिन का प्रभावी छिड़काव भी सुनिश्चित बनाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास तरूण कपूर, तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

डॉ. सैजल की केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से भेंट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य को विभिन्न महिला केन्द्रित योजनाओं की धनराशि में वृद्धि की जाए।

डा. सैजल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से भेंट कर यह आग्रह किया।

डा. सैजल ने इस अवसर पर मेनका गांधी को हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल, देश के उन राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के लिए शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि राज्य में महिलाओं को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं आजीविका में आशातीत सुधार हो।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि राज्य को महिलाओं से संबंधित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए अधिक धनराशि आबंटित की जाए।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने डा. सैजल को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विभागीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने डा. सैजल से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में महिला एवं बाल विकास केन्द्रित विभिन्न योजनाओं को हर गांव हर घर तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाएं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वर्षों से यह सैंकड़ों होटल अवैध रूप से आप्रेट होते रहे

शिमला/शैल। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यह दावा करती आ रही है प्रदेश सरकार। इस दावे को साकार करने के लिये पर्यटन के क्षेत्र में लगातार सुविधाओं का प्रसार भी किया जा रहा है। अभी मुख्यमन्त्री ने दिल्ली में राज्यों के वित्त मन्त्रीयों की बजट पूर्व बैठक में केन्द्रिय वित्तमन्त्री अरूण जेटली के समक्ष पर्यटन के संद्धर्भ में जबरदस्त तरीके से प्रदेश का पक्ष भी रखा है और पूरी –पूरी संभावना है कि केन्द्र से इसके लिये अपेक्षित सहायता भी मिलेगी। पर्यटन विभाग को मुख्यमन्त्री ने रखा भी अपने ही पास है। काग्रेस सरकार में भी पर्यटन मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के ही पास था। काग्रेस में सचिव स्तर पर यह विभाग मुख्य सचिव के पास था। इस बार पर्यटन की जिम्मेदारी खुद मुख्यमन्त्री की प्रधान सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा के पास है। मुख्यमन्त्री और उनके वरिष्ठतम अधिकारी पर्यटन को कितनी गंभीरता से लेते रहे हैं और आज भी ले रहे हैं यह इन जिम्मेदारीयों से स्पष्ट हो जाता है।

होटल निर्माण पर्यटन का अभिन्न अंग है बल्कि पर्याय है। इसी नाते सरकार भी पर्यटन विकास निगम के माध्यम से होटलों का निर्माण और संचालन कर रही है। लेकिन सरकार से ज्यादा इसमें प्राईवेट सैक्टर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। होटल के निर्माण में पर्यटन विभाग और टीसीपी की भूमिका सबसे अहम होती है क्योंकि इस निर्माण से पहले विभाग से Essentiality certificate हासिल करना पड़ता है। उसके बाद ही टीसीपी से होटल के निर्माण का नक्शा स्वीकृत करवाया जाता है। इन अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही होटल का निर्माण हो पाता है। इस निर्माण के बाद पर्यटन विभाग से इसे चलाने का लाईसैन्स लिया जाता है और इस लाईसैन्स को नियत समय के बाद रिन्यू भी करवाया जाता है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड इस बात पर बराबर नज़र रखता है कि होटल पर्यावरण के मानकों की अनुपालना सही तरीके से कर रहा है या नही। इसी के साथ टीसीपी विभाग भी यह सुनिश्चित करता है कि होटल उसके द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही बना हुआ है या नहीं इसमें पर्यटन विभाग की यह सक्रिय जिम्मेदारी रहती है कि वह समय–समय पर निरीक्षण करे कि होटल किसी प्रकार भी तय मानकों की अनदेखी तो नही कर रहा है। किसी भी अनदेखी पर होटल के खिलाफ कारवाई करना और उसकी सूचना प्रदूषण आदि संबद्ध विभागों को देना भी पर्यटन विभाग की ही जिम्मेदारी रहती है।

इस तरह पर्यटन जितना बड़ा क्षेत्र है इससे जुड़े प्रशासनिक तन्त्र की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। लेकिन क्या पर्यटन से संबद्ध प्रशासनिक तन्त्र अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है? यह सवाल एनजीटी और प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं से सामने आया है। शिमला, परवाणु, कसौली, कल्लु, मनाली और धर्मशाला प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन के नाम पर होटल निर्माण एक बहुत बड़ा व्यवसाय बना हुआ है। लेकिन इन क्षेत्रों में होटलों के नाम पर इतना अवैध निर्माण सामने आ चुका है कि कसौली में तो ''कसौली बचाओ'' अभियान तक छेड़ना पड़ा है। इसके तहत एनजीटी और उच्च न्यायालय में याचिकाएं आ चुकी हैं। कसौली में होटलों में पाये गये अवैध निर्माण के लिये एनजीटी ने एक आदेश में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ नियमानुसार कारवाई करने के निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव को दिये हैं लेकिन इस पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है।

प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी याचिका पर जवाब दायर करते हुए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने यह स्वीकारा है कि कुल्लु–मनाली क्षेत्र में बने 547 होटलों में से 216 के पास आप्रेट करने की वाच्छित स्वीकृतियां नही हैं। परवाणु में 44 होटलों की अवैधता के चलते बिजली सप्लाई काटी गयी है। इसी तरह धर्मशाला में भी ऐसी ही अवैधता के लिये 144 होटलों के खिलाफ कारवाई की गयी है। उच्च न्यायालय के 7.12.2017 को पारित निर्देशों पर जिलाधीश कुल्लु ने कसोल में 44 होटलों की बिजली पानी बन्द करने की कारवाई की है। प्रदेश उच्च न्यायालय और एनजीटी की सख्ती के बाद अवैध रूप से चल रहे होटलों की कुल्लु –मनाली क्षेत्र की एक सूची प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कुल्लु– मनाली कार्यालय ने तैयार की है। इस सूची को देखने से अवैधता की सीमाओं का आकलन करना ही असंभव हो जाता है। क्योंकि इस सूची में कुछ ऐसे होटल भी हैं जिनके लाईसैन्स दशकों पहले समाप्त हो चुके हैं। जिन्हे रिन्यू तक नहीं करवाया गया है। इसमें यह सवाल खड़ा होता है कि जब पर्यटन की सरकार के स्तर पर जिम्मेदारी ही मुख्यमन्त्री और मुख्य सचिव के पास रही है तो फिर यह अवैधताएं कैसे चलती रही? अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार इस प्रकरण में संबद्ध प्रशासनिक तन्त्र के खिलाफ कारवाई करेगी या नहीं? क्योंकि इतने लम्बे समय तक सबकुछ प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता था।

यह है इन होटलों की सूची

HP STATE POLLUTION CONTROL BOARD, REGIONAL OFFICE KULLU

Sr. No.	Name and Address of the Unit	Consent status and action taken Hon'ble NGT order Valid till	Expired/ Granted
1.	M/s Hotel Kailash view, VPO-Baragran, 14 Mills, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2006	Expired
2.	M/s Anand Paying Guest House, VPO- Vashisth, Tehsil-Manali, Distt- Kullu (HP)	31.03.2006	Expire
3.	M/S Apple Cottage, Village Gadherni, PO Kalath, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2017	Expired
4.	M/s Apple Royal Guest House, Apple Complex, NH-21, ParlaBhunter, Distt-Kullu-175125(HP)	31.03.2017	Expired
5.	M/s Hotel Alpine, Near Hadimba Temple Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2016	Expired
6.	M/s Hotel Angler's Bungalow(Apple Blossom),HPTDC Katrain, Tehsil &Distt- Kullu (HP),	31.03.2014	Expired
7.	M/s Hotel Asia Sulphur Spring (Beas Spring),VPO-Kalath, Tehsil-Manali, Dsitt. Kullu-175131(HP)	31.03.2006	Expired
8.	M/s Hotel Blue Chips Pvt. Ltd., Chadigari Sunnyside- Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2006	Expired
9.	M/S Hotel Broad View, Log Huts Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131 (HP)	31.03.2016	Expired
10.	M/s Hotel Camping Site (Adventure Resorts)"Morpheus Valley Resort", HPTDC Raison, Distt. Kullu (HP)	31.03.2016	Expired
11.	M/s Hotel Classic, Aleo Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP).	31.03.2016	Expired
12.	M/s Hotel 'D' Chalet (Dee Restaurant), Club House Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
13.	M/s Hotel Dev Bhumi, left bank Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
14.	M/s Hotel Durga, Siyal Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
15.	M/s Hotel Flamingo Resorts, Kanyal Resorts Simsa,Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2017	Expired
16.	M/s Hotel Gilbert, circuit House Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
17.	M/s Hotel Hadimba Palace, Hadimba Matta Road- Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-17513	31.03.2017	Expired
18.	M/s Hotel Hager Regency (Hayer Regency), Aleo Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2011	Expired
19.	M/s Hotel Hamta View, Aleo, Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2011	Expired
20.	M/s Hotel Hilltone Resorts (A unit of K. K. Hotels Pvt. Ltd.), Vill-BaragranBihal, PO-Katrain, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175129 (HP)	31.03.2017	Expired
21.	M/s Hotel Him View, Club House Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131 (HP)	31.03.2016	Expired
22.	M/s Hotel Ibex, The Mall Manali, Tehsil -Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2012	Expired
23.	M/s Hotel Kalinga Grand, Kanyal Road Rangree, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2009	Expired
24.	M/s Hotel MahadevResorts(Club Vista), Rangree, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2015	Expired
25.	M/s Hotel Manali Castle, Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
26.	M/s Hotel Manali Jain Cottage, Koshalavashisth Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2011	Expired
27.	M/s Hotel Moon Light, Hadimba Matta Road Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2017	Expired
28.	M/s Hotel Nakshatra, Vill-Talogi, PO-Bari, Tehsil &Distt. Kullu-175101(HP)	31.03.2017	Expired
29.	M/s Hotel Narayan, Aleo, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
30.	M/s Hotel Natraj, Rangree, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
31.	M/s Hotel New Kailash, Akhara Bazar Kullu, Distt. Kullu175101(HP)	31.03.2012	Expired
32.	M/s Hotel New Kenilworth International,near police station Manali, tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2017	Expired
33.	M/s Hotel Parijat, Old Mission Road- Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
34.	M/s Hotel Premier, Model Town Manali, Distt. Kullu-175131(HP	31.03.2011	Expired
35.	M/s Hotel President ,Aleo, Manali, Distt. Kullu(HP)-175131,	31.03.2016	Expired
36.	M/s Hotel Prince, Aleo, Manali, Distt. Kullu(HP)-175131	31.03.2006	Expired
37.	M/s Hotel Raj Hans, Log Huts Manali, Distt. Kullu(HP)-175131,	31.03.2006	Expired
38.	M/s Hotel Rohtang Inn, The Mall Manali, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
39.	M/s Hotel Royal Kalinga Cottage, Kanyal Road Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired
40.	M/s Hotel Royal, Gurudwara Road Manali, Distt. Kullu (HP)-175131	31.03.2017	Expired
41.	M/s Hotel Sanjeevny, VPO- Bajaura, Tehsil &Distt. Kullu -175125(HP),	31.03.2017	Expired
42.	M/s Hotel Seagull, near Circuit House Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2011	Expired
43.	M/s Hotel Shanti Kunj , near Circuit House Road Manali, Distt. Kullu -175131(HP),	31.03.2016	Expired
44.	M/s Hotel Singar, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)-175131,	31.03.2005	Expired
45.	M/s Hotel Sitara International, Kanyal Road Rangree Manali, Distt. Kullu(HP)-175131	31.03.2017	Expired
46.	M/s Hotel Summer King, left bank Aleo, Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired
47.	M/s Hotel Tourist, near circuit House Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired
48.	M/s Hotel Valley View Annexe, Ram Bag, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2016	Expired
49.	M/s Hotel Valley View, TikkerBowli-Kullu, Tehsil &Distt. Kullu-175101(HP),	31.03.2017	Expired
50.	M/s Hotel Valley View, Vashisth, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP)	31.03.2016	Expired
51.	M/s Hotel Windsor, Khanyal Road Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu(HP),	31.03.2006	Expired
52.	M/s Koyal Paying Guest House, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175131	31.03.2017	Expired
53.	M/s Kullu Valley Leisure Resorts Pvt. Ltd., Shamshi, Tehsil-Bhunter, Distt. Kullu -175126 (HP),	31.03.2016	Expired
54.	M/s Kunal Lodge, Log Huts Area, Near Hotel Chetna, Manali, Distt. Kullu-175131	31.03.2016	Expired
55.	M/s Lord's Resency, Vill-Aleo, Manali, Tehsil- Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
56.	M/s Manali Retreat & Spa (Neeraj Sharma),Village-Shuru, PO-Prini, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(H.P)	31.03.2016	Expired
57.	M/s Mangal Deep Guest House, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2017	Expired
58.	M/s Manu Deluxe, Near Circuit House, Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP)	31.03.2006	Expired
59.	M/s Dee Camp & Resorts Vill. Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali Dist. Kullu	06.04.1999	Expired
60.	M/s Anand Guest House (Nanad Hotel &Resturent) Bada Gram 15 Mile, P.O. Katrain, Distt. Kullu	31.03.2017	Expired
61.	M/s Naina Rock Land (Naina Guest House), Village-Matiana, PO-Vashisth, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2016	Expired
62.	M/s Manali Paradise, V.P.O Aleo, Tehsil Manali,.Distt. Kullu	31.03.2017	Expired
63.	M/s Nishita Resorts, Aleo Manali, Te;hsil Manali, Distt. Kullu(HP)-175131,	31.03.2016	Expired
64.	M/s Peak view, VPO-Prini, Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175143	31.03.2017	Expired
65.	M/s Prini Inn Guest House, Village-Prini, Distt. Kullu(HP)	31.03.2016	Expired
66.	M/s Arman Resort, Vill. Shuru(Shaminara) P.O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu	04.09.2015	Running without CCA
67.	M/s Samrat Paying Guest House, VPO-Bhunter, Tehsil-Bhunter, Distt. Kullu-175125 (HP),	31.03.2016	Expired
68.	M/s Snow Peak Cottages, Village-Nasogi, PO-Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
69.	M/s Summer Guest House, Model Town Manali, Tehsil-Manali, Distt. Kullu -175131(HP)	31.03.2006	Expired
70.	M/s Tall Trees Resorts, VPO-Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu-175136 (HP),	31.03.2017	Expired
71.	M/s Thunder World Club & All Season Camp, Village-Nasogi, PO-Chhiyal, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131(HP),	31.03.2017	Expired
72.	M/s Village Classic Cottage, Simsha, Manali, Distt. Kullu-175131(HP)	31.03.2016	Expired
73.	M/s Whispering Wood Resorts, Village-Shanag, PO-Bahang, Tehsil-Manali, Distt. Kullu-175131 (HP),	31.03.2016	Expired